



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928



संख्या : 1170 - विनियम एवं काविनी-29/पाकालि /24-07-विनियम/2019 दिनांक 1 नवंबर, 2024

कार्यालय ज्ञाप

कम्पनी अधिनियम-2013 की धारा-179 तथा निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल-47, 48 एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 05.11.2024 को सम्पन्न 207(26)वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् से लेकर उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में वृहद शास्ति के साथ बिना किसी Malafide Intention के कार्मिकों को प्रदान की गयी निन्दा प्रविष्टि/परिनिन्दा (Censure) के सम्बन्ध में समेकित रूप में कार्यवाही किये जाने हेतु एतद्वारा निम्नवत् आदेशित किया जाता है :-

01. इस निर्णय के दिनांक (05.11.2024) के बाद से होने वाली प्रोन्नतियों के लिए अर्हता/अंक निर्धारित करने के उद्देश्य से उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उसके सहयोगी वितरण कम्पनियों द्वारा कार्मिकों को निर्गत दण्डादेशों में दीर्घ शास्तियों के साथ प्रदत्त "निन्दा प्रविष्टि"/"परिनिन्दा (Censure)" की शास्ति के लिए अलग से अंक नहीं काटे जाएंगे।
02. दीर्घ शास्तियों के साथ दी गयी आर्थिक हानि के सापेक्ष वसूली की शास्ति यथावत् रहेगी।
03. दीर्घ शास्तियों के साथ प्रदत्त "जुर्माना" की शास्ति यथावत् रहेगी।
04. इस निर्णय से पूर्व में हुई विभागीय प्रोन्नति समिति (DPCs)/चयन समिति द्वारा लिए गए कोई भी निर्णय पुनरोद्घाटित नहीं होंगे।
05. प्रोन्नति/चयन हेतु कार्मिक को एक साथ प्रदत्त शास्तियों में केवल दीर्घ शास्ति के आधार पर अंकों की कटौती होगी। दीर्घ शास्ति के साथ दी गयी लघु शास्ति के सापेक्ष अंकों की कटौती नहीं होगी।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

सं0 - 1170 -(1)-विनियम एवं काविनी-29/पाकालि /24 तददिनांक।

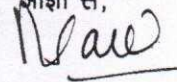
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, समस्त विद्युत वितरण निगम एवं केस्को एवं यू0पी0आर0ई0वी0 के निजी सचिव।
5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अपर सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. अध्यक्ष/सचिव, विद्युत सेवा आयोग, एस0एल0डी0सी0 परिसर, गोमती नगर, लखनऊ।
11. समस्त संयुक्त सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

(Handwritten signature)

12. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
14. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को उनके पत्र सं०-575/पाकालि/सीए०/2024 दिनांक-05/12/2024 के सन्दर्भ में निदेशक मण्डल की मद सं० 207(26)वी बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन की सूचना के सम्बन्ध में।
16. उपसचिव (डीपी-05ई) उ०प्र० पाकालि को पत्र सं० 7(15) 05 ई/24 द्वारा निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव के सन्दर्भ में अभिलेखार्थ/सूचनार्थ।
17. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाईट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,



(प्रभात सहगल)

उप सचिव (काविनी एवं विनियम)

